347

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :- ।१६ निगरानी निग-896-I-16

शिव प्रसाद शर्मा उर्फ श्योप्रसाद पुत्र मिट्ठूलाल
निवासी- भुमिया रोड, तहसील के पीछे, वार्ड क्रमांक
१७, अम्बाह, तहसील अम्बाह जिला मुरैना-म०प्र० ।
----- प्रार्थी

श्री ... द्वारा आज दि. 14-3-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-3-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरुध्द

१- डा० राम निवास गुप्ता पुत्र स्व० जौहरीलाल, गुप्ता,
पोली क्लिनिक, पोरसा रोड, अम्बाह, तहसील-
अम्बाह, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

२- श्रीमती मनोरमा गुप्ता पत्नी डा० राम निवास गुप्ता
निवासिन वार्ड क्रमांक ८, सुभाष रोड, अम्बाह,
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

३- जगदीश पुत्र अमर सिंह तथा कथित दत्तक पुत्र रामरतन,
त्यागी मोहल्ला, भुमिया रोड, अम्बाह, तहसील-
अम्बाह जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

---- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय अम्बाह जिला मुरैना
दिनांकी ३०-११-१५, अन्तर्गत धारा ५०-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९,
प्र०क्र० ५४।१४-१५ अपील माल ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाएँ कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी
स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है ।

३- यह कि, प्रार्थी विवादित भूमि के हित रखने वाला शामिलि-

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-896-एक/16 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	